

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1947]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1947]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सं. 65/2016

आयकर

का.आ. 2616(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (iii) के उपखंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ माइक्रो यूनिल्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (एम यू डी आर ए) अधिसूचित करती है।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 65 /2016/फा. सं. 275/28/2015-आई टी (बी)]

संदीप सिंह, अवर सचिव